

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:-200 / 2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या :-117 / 2021

24.06.2022 आवेदक बिनोद कुमार उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदक का जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-698/2022 में पारित आदेश दिनांक-16.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदक बंधपत्र दाखिल करना चाहते हैं । अतः बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदक का जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-698/2022 में पारित आदेश दिनांक-16.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । उक्त आदेश के तहत उपरोक्त आवेदक को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार होने या आत्मसमर्पण करने पर मो0-10000X2 (दस हजार) रुपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू पर माननीय निचली अदालत की संतुष्टि उपरांत एवं धारा 438(2) दं0प्र0सं0 के अनुपालन के आलोक में विभिन्न शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है । आवेदक वर्णित आदेश का अक्षरशः पालन करने का कथन करते हैं । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है । आवेदक समय सीमा के अंतर्गत आत्मसमर्पण किये हैं ।

अतः आवेदक को उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।